न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय म0प्र0राजस्व मंण्डल

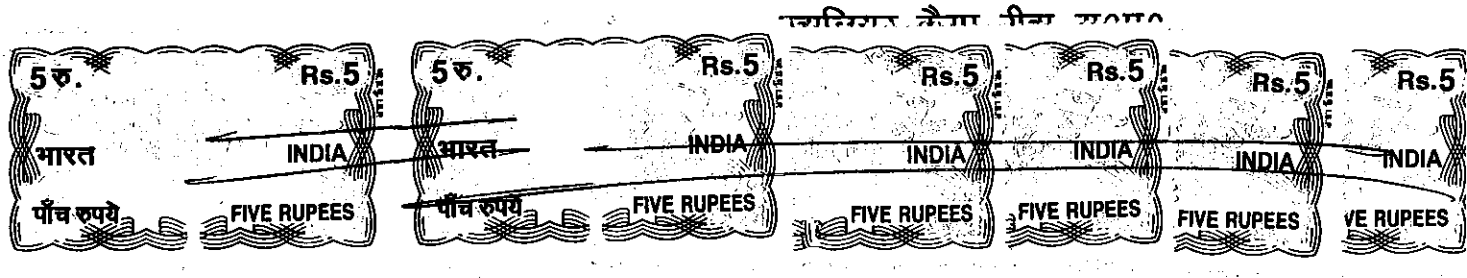

उमेश सिहं तनय श्री द्वारिका सिहं उम्र 58 साल निवासी सर नं01 तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0 ----------आवेदक

R5358-II/16

बनाम

1. राजेन्द्र सिहं तनय श्री शंकर सिहं निवासी सर नं01 तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0

2. शासन म0प्र0 --------अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री रवेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा प्रस्तुत। 05-8-2016

निगरानी बिरूद्व आदेश तहसीलदार तहसील मनगंवाजिलारीवाम0प्र0के प्र0क013अ12/14-15 मे पारित आदेश दिनांक 27.11.14 के बिरूद्व अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय

निगरानी के तथ्यः-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक आराजी नम्बर 337/1 रकवा 0.519 मौजा सर नं01,तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0 मे स्थित भूमि है,जिस भूमि के सरहददी भूमियां 338,339,340,341,342,343 कुल 6 किता भूमियों के सीमाकन वावत अनावेदक क्रमांक 01 ने तहसीलदार तहसील मनगंवा के न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया,लेकिन सरहददी काश्तकार आवेदक को उक्त सीमांकन के सम्बन्ध मे कोई सूचना नही दी गई बल्कि मौके पर कोई सीमांकन या नाप जोख की कार्यवाही भी नही की गई,बिधि बिरूद्व ढंग से कागजी कार्यवाही करते हुये प्रार्थी की भूमि 337 की भूमिया अनावेदक क्रमकांक 01 की भूमियो मे समाहित कर दिये और उसी सीमांकन आदेश के आधार पर धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0की कार्यवाही अनावेदक के द्वारा संचालित की गई तत सीमाकन की जानकारी होने पर उक्त

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5358–दो/16 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
2.11.16	आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्र0 क0 13/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.11.14 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आराजी नंबर 337/1 रकवा 0.519 मौजा सर नंबर 1 तहसील मनगंवा जिला रीवा स्थित भूमि है जिस भूमि के सरहददी भूमियां 338 से 343 तक कुल किता 6 भूमियों के सीमांकन वावत अनावेदक कमांक –1 ने तहसीलदार मनगंवा के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरहददी काश्तकार आवेदक को उक्त सीमांकन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि मौके पर कोई सीमांकन या नाप जोख की कार्यवाही श्री नहीं की गई विधि विरूद्व ढंग से कागजी कार्यवाही करते हुये प्रार्थी की भूमि 337 की भूमियां अनावेदक कमांक 1 की भूमियों में समाहित करदिये और उसी सीमांकन आदेश के आधार पर धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की कार्यवाही अनावेदक के द्वारा संचालित की गई तब सीमांकन की जानकारी होने पर उक्त निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है । आगे अपनी	च

बहस में कहा गया है कि पंचनामा में जो दिनांक 23.11.14 का तैयार किया गया है उस पर आवेदक के हस्ताक्षर भी नहीं है। सूचना पत्र में दिनांक 21.11.14 का उल्लेख किया गया है बाद में उक्त तिथि को काटकर 23.11.14 कर दी गई है, इससे गलत तरीके से किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। आवेदक प्रस्तुत निगरानी के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, और सूचना पत्र पर हस्ताक्षर हैं लेकिन सूचना पत्र की नियत दिनांक में काटपीट की गई है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। राजस्व अधिकारियों द्वारा जो विधि के विरूद्व सीमांकन की कार्यवाही की गई है निश्चित ही त्रुटिपूर्ण है।

"यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 27–11–14 को राजस्व निरीक्षक /पटवारी ने सीमांकन किया जिस पर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के

कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर

तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी सरहदी कास्तकारों को पृथक से सूचना नहीं दी गई है। पंचनामा पर सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर हैं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः सीमांकन आदेश दिनांक 27–11–14 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मनगंवा जिला रीवा को निर्देशित किया जाता है कि सीमावर्ती कृषकों को सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये, नियमों के परिपालन में विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार मनगंवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य